

## कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/मा/हिनि/28232/आक्षेप/2021-22

दिनांक : 28/6/2021

समस्त संयुक्त निदेशक

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा)

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) (माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा)

समस्त प्राचार्य डाईट

समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी

पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाये

विषय: कोरोना पॉजिटिव होने के दौरान शिक्षा विभागीय कार्मिक की मृत्यु होने पर 1.50 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता राशि हितकारी निधि से प्रदान करने बाबत।

उपर्युक्त विषय में निर्देशानुसार लेख है कि हितकारी निधि माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर से शिक्षा विभागीय कार्मिक की मृत्युपरान्त उनके आश्रितों को 1.50 लाख रुपये सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान है।

दिनांक 26.06.2021 को निदेशालय में माननीय शिक्षा मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया कि जिन शिक्षा विभागीय कार्मिकों की मृत्यु कोरोना पॉजिटिव होने के दौरान हुई है, उन्हें हितकारी निधि से 1.50 लाख की अतिरिक्त राशि सहायता राशि के बतौर प्रदान की जावे अर्थात् शिक्षा विभागीय कार्मिक जिनकी कोरोना पॉजिटिव होने के कारण मृत्यु हुई है, परन्तु वह ड्यूटी पर नहीं थे एवं 50 लाख रुपये के अनुदान के पात्र नहीं है, उनके आश्रित को (1.50 लाख + 1.50 लाख) कुल 3.00 लाख रुपये सहायता राशि प्रदान की जावे। उपरोक्त निर्णय के अनुसार इस पत्र के साथ एक आवेदन पत्र जारी किया जा रहा है, इसके सभी बिन्दुओं की पूर्ति कराई जाकर सक्षम अधिकारी के मार्फत आवेदन पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त योजना, योजनान्तर्गत सहायता हेतु वे कार्मिक जिनकी दिनांक 01.04.2021 को या उसके पश्चात्पूर्ति दिनांक को मृत्यु हुई हो, पात्र होंगे।

इस योजना की आप अपने अधीनस्थ समस्त को जानकारी प्रदान करें।  
अपूर्ण आवेदन पत्र के कारण सहायता राशि वितरित नहीं होती है, तो समस्त जिम्मेदारी  
कार्यालयाध्यक्ष / नियंत्रण अधिकारी की होगी।

संलग्न:- प्रपत्र

  
(सौरभ स्वामी)

IAS

निदेशक एवं अध्यक्ष  
हितकारी निधि माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निदेशक, समग्र शिक्षा, स्कूल शिक्षा विभाग, शिक्षा संकुल जयपुर।
2. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
4. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर।
5. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, बीकानेर/अजमेर।
6. प्रधानाचार्य, सार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर।
7. संपादक शिविरा पत्रिका।
8. संयुक्त निदेशक कम्प्यूटर (कार्यालय हाजा) को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेब-साईट एवं शालादर्पण/शाला दर्शन पर अपलोड करने बाबत।

  
(सौरभ स्वामी)

IAS

निदेशक एवं अध्यक्ष  
हितकारी निधि माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

हितकारी-निधि (राजस्थान शिक्षा विभाग, बीकानेर) से कर्मचारी के कोरोना के कारण निधन पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र

- 1 प्रार्थी/प्रार्थिनी(कर्मचारी पर अभित/अभिता) का नाम एवं सम्बन्ध
- 2 स्थाई पता एवं मोबाईल नम्बर
- 3 मृतक कर्मचारी का नाम
- 4 मृतक कर्मचारी का पद एवं पदस्थापन स्थान
- 6 कर्मचारी की मृत्यु तिथि (मूल मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करें)
- 7 क्या मृतक कर्मचारी की मृत्यु राज्य सेवा में रहते हुए हुई (सेवा समाप्ति आदेश की प्रति संलग्न करें।)
- 8 कोरोना पोजिटिव होने के प्रमाण की तत्वा प्रतिलिपि
- 9 कोरोना पोजिटिव होने एवं कोरोना से मृत्यु होने का प्रमाण-पत्र (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी)
- 10 दिनांक 01/04/2021 के बाद निधन होने पर पूर्व में हितकारी निधि से सहायता राशि प्राप्त हुई या नहीं दिवस प्रस्तुत करें।
- 11 अंशदान कटीती वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, से इ0सी0एस0 एवं शेड्यूल की प्रति संलग्न करें
- 12 परिवार के सदस्यों का विवरण (निम्न प्रपत्र में प्रस्तुत करें)

क्र.सं.	नाम	आयु	मृतक से सदस्य	विवाहित/अविवाहित	विशेष विवरण

- 13 प्रार्थी/प्रार्थिनी का बैंक खाता विवरण

बैंक खाता (पाप्त युक्त प्रथम पृष्ठ की प्रति या निरस्त बैंक संलग्न करें)

- 14 मैं प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिया गया विवरण बिल्कुल सही है। इन विन्दुओं में कोई असत्यता हो तो हितकारी -निधि, शिक्षा-विभाग, बीकानेर में विस्फुट जो भी उचित समझे कार्यवाही कर सकेगा यह मुझे स्वीकार्य होगी। कोरोना झूठी पर पोजिटिव होने के परकात मृत्यु होने पर राज्यादेश के अनुसरण में राशि 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि हेतु मेरे द्वारा आवेदन नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर संस्था प्रधान(मोहर)

अभित(प्राथी/प्रार्थिनी के हस्ताक्षर)

प्रार्थना पत्र जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा अग्रेषित करवाया जाना है।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थी/प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत विवरण सही है। उनकी मृत्यु कोरोना के दौरान हुई है। अतः प्रार्थना पत्र अध्यक्ष, हितकारी-निधि, शिक्षा-विभाग, बीकानेर को सहायता हेतु अनुशासक सहित अग्रेषित किया जाता है।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)  
(मुख्यालय)